

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)  
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- SPL-1

जयपुर, दिनांक:- 01.04.2020

आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद्/पालिका  
समस्त राजस्थान।

विषय:-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लागू लॉकडाउन में  
अस्थाई/ठेका/संविदा सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण क्रय करने हेतु  
1000/- रुपये की राशि स्वीकृत करने बाबत।  
संदर्भ:-विभागीय पत्रांक SPL-3 दिनांक 26.03.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों, जमादारों एवं स्वास्थ्य निरीक्षक को मास्क, सैनेटाईजर, साबुन, दस्ताने क्रय करने हेतु 1000/- रुपये नकद भुगतान की स्वीकृति दी गई थी।

इस संबंध में यह देखने में आया है कि कतिपय नगरीय निकायों द्वारा उक्त 1000/- रुपये का नकद भुगतान सभी सफाई कर्मचारियों (स्थाई/अस्थाई/ठेका/संविदा) को कर दिया गया है। किन्तु कुछ नगरीय निकायों द्वारा उक्त 1000/- रुपये का भुगतान केवल स्थाई सफाई कर्मचारियों को ही किया गया है। चूंकि अस्थाई/ठेका/संविदा सफाई कर्मचारियों को भी साफ-सफाई कार्य में लगाया हुआ है। अतः कोरोना वायरस से उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु उक्त सुरक्षा उपकरण आवश्यक है।

अतः पूर्व में जारी आदेश दिनांक 26.03.2020 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा उपकरण मास्क, सैनेटाईजर, साबुन, दस्ताने क्रय करने हेतु उक्त 1000/- रुपये का भुगतान अस्थाई/ठेका/संविदा सफाई कर्मचारियों को भी करावें।



(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

जयपुर, दिनांक:- 01.04.2020

क्रमांक:- SPL-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।



निदेशक एवं संयुक्त सचिव